श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: माननीय सभापति महोदय, आप भी राजस्थान से आते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, आपने मेरा परिचय करा दिया।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी: पानी की दृष्टि से राजस्थान की स्थिति को आप अच्छी तरह जानते हैं। महोदय, केन्द्र सरकार ने 2004-05 में 1545 लाख, 2005-06 में 31 लाख और 2006-07 में 271 लाख के आंकड़े दिए हैं। पिछले तीन वर्षों से पूर्वी राजस्थान में बारिश कम हुई है। महोदय, राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा बहुत अधिक है। इन चार-पांच कारणों से केवल राज्य सरकार पर छोड़ देना और केन्द्र सरकार का अपना हाथ झाड़ लेना ठीक नहीं है और जैसा इन्होंने वर्ण किया है, पिलानिया जी ने ठीक कहा है कि शहरों में यह पांच-पांच दिन के बाद सप्लाई किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पानी की कमी, नगरों में चार-पांच दिन में दिया जाना, इसके संबंध में आप क्या करेंगे? जरूर विचार करिए, केवल राज्य सरकार पर मत छोड़िए।

श्री अजय माकन: महोदय, जैसा मैंने पहले कहा, यह एक असेन्सियल स्टेट सब्जेक्ट है और इसे अर्बन लोकल बॉडीज को देखना है। जहां तक इन्होंने आंकड़ों और पिछले सालों में पैसे देने की बात कही है, यह एक्सेलेरेटेड अर्बन वाटर सप्लाई प्रोग्राम के आंकड़े हैं, जिसमें कोई भी नया प्रोग्राम 31 मार्च, 2005 के बाद में नहीं लिया गया है। उसके बाद भी जैसा मैंने बताया कि अर्बन रिन्युअल मिशन में से 200 करोड़ रुपया अजमेर-पुष्कर अकेले के लिए सेंक्शन किया है। वर्ष 1993-94 से लेकर मार्च, 2005 तक टोटल जितना सेंक्शन किया गया है, जितने टोटल प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं, उनमें से केवल एक यह प्रोजेक्ट उससे भी कहीं ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि केन्द्र सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हम लोगों ने इस एक साल के अंदर-अंदर, अर्बन रिन्युअल मिशन की शुरुआत होते ही, इससे कहीं जयादा पैसा दिया है और 200 करोड़ रुपया सेंक्शन किया है, जबकि उसके पहले 13 साल के अंदर 132 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है।

Installation of hoardings on roads

*225. SHRI TARIQ ANWAR: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that hoardings are installed on important roads in Delhi;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that these hoardings would lead to losing of concentration of the drivers; and

(d) if so, the steps Government are taking to remove these hoardings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI AJAY MAKEN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and New Delhi Municipal Council Act, 1994 prohibit advertisements over any building, wall, hoarding or structure from being displayed without the written permission of the Commissioner, MCD and Chairperson, NDMC respectively. MCD has reported that Supreme Court of India in CWP No. 13209/85 had directed civic authorities to identify and remove all hoardings which are on road side and which are hindrances and disturbance to safe traffic movement. MCD has further informed that Supreme Court had further directed in CWP No. 2803/2001 that the authorities are empowered to refuse the grant of licences or to remove existing hoardings only if the same is hazardous and is disturbance to safe traffic movement.

NDMC has reported that it has removed all hoardings in pursuance of the Court orders except those which are under stay from various Courts. MCD has reported that all grant of permission for advertisements in the form of Out of Home display is governed by the DMC (Tax and Advertisements other than Advertisements Published in News Papers) Bye-laws, 1996 as amended from time to time. The MCD has also set up a Revenue Augmentation Committee with representatives from Traffic Police, Delhi Urban Art Commission to recommend the types and locations for grant of permission for display of advertisements.

While reliable research does not confirm the fact that hoardings would lead to losing the concentration of drivers, MCD has reported that a study conducted by the School of Planning and Architecture, New Delhi has concluded that no statistical relationship could be established between accidents and road side advertisements and that the impact of road side display of traffic is negligible at signal/manual controlled intersections.

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1997 में ही होर्डिंग्स और बिलबोर्ड्स पर बेन किया था, उस पर रोक लगाया था और एम.सी.डी. और अर्बन डवलपमेंट मिनिस्टरी को यह निर्देश दिया था कि जितने भी अनअथोराइज्ड होर्डिंग्स हैं, उनको हटाया जाए। इस फैसले को लगभग दस साल हो गए हैं, लेकिन इन दस सालों के बाद भी यह देखा जाता है कि बड़े पैमाने पर

होर्डिंग्स आज भी दिल्ली की मुख्य सड़कों पर हैं। उस जनहित याचिका में जो बातें कही गई थीं, उनमें इस बात का भी जिक्र किया गया था इन होर्डिंग्स की वजह से कई एक्सीडेंट होते हैं और उससे बचने का एक ही तरीका है कि इन होर्डिंग्स को हटाया जाए, लेकिन एम.सी.डी. होर्डिंग्स लगाने के लिए लगातार परमिशन दे रही है और दूसरी तरफ दिल्ली ट्रेफिक पुलिस का कहना है कि यह कंटेंप्ट आफ कोर्ट है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद ये बिलबोड्र्स और होर्डिंग्स अभी भी दिल्ली में जो दिखाई पड़ रहे हैं, उनको हटवाने के लिए इनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाया गया है और जो ये अलग-अलग विभाग हैं, उनके आपस में समन्वय, कोर्डिनेशन के लिए कोई व्यवस्था की गई है या नहीं? और, अब तक पिछले तीन सालों में कितने इल्लीगल होर्डिंग्स हटाए गए हैं? इस संबंध में मैं मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा।

श्री अजय माकन: महोदय, दिल्ली में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कई बार कोर्ट के द्वारा बहुत सारी चीजें निर्धारित की जाती हैं और यह भी एक मसला है, जिसमें कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में 20 नवंबर, 1997 को सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो मना किया कि सारे के सारे होर्डिंग्स उतार दिए जाएं और कोई भी होर्डिंग दिल्ली में न लगे। उसके बाद लगभग सवा साल तक कोई भी, किसी भी प्रकार का होर्डिंग नहीं लगा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने और एम.सी.डी. ने कोर्ट के उस डिसीजन को एग्जामिन कराया और सिद्धार्थ शंकर राय से इसका लीगल ओपिनियन लिया। उन्होंने यह लीगल ओपिनियन दिया कि कोर्ट का यह मत है कि केवल हेजार्डस होर्डिंग्स , जो कि किसी के ऊपर गिर सकते हैं या जो ऐसे अट्रेक्टिव होर्डिंग हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, सिर्फ उन होर्डिंग्स का हटाया जाए। ...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह कौन सी राय है? ...(व्यवधान)...

श्री अजय माकन: एक मिनट ...(व्यवधान)... एक मिनट ...(व्यवधान)... महोदय, यही नहीं, इसके बाद 16 अप्रैल, 2001 को दुबारा से फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस नारायण भट्ट वर्सेस स्टेट आफ तमिलनाडु में यह कहा कि -

"the authorities concerned are empowered either to refuse to grant licence, renewal or to remove the existing hoardings only if the same is hazardous and disturbance to safe traffic movement which, in turn, should adversely affect free and safe flow of traffic. Unless these impediments are present in the hoardings merely because the said hoardings are visible to the traffic cannot be the ground for refusing the grant/renewal of licence". सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2001 को यह जजमैंट दे कर, जैसा सिद्धार्थ शंकर रे जी ने कहा, एक तरह से उसी बात को सबस्टैंशिएट करते हुए, उसे माना और उसके बाद में चीफ सैक्रेटरी दिल्ली सरकार ने तमाम...(व्यवधान)...

श्री सभापति: इन्होंने जो सवाल पूछा है, आप उसका जवाब दीजिए।

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, मेरे खयाल से इन्होंने यही पूछा है कि ये क्यों चल रहे हैं, मैं इनको यह बताना चाहता हूं कि 2001 के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के ये आर्डर वापस आए, जिसमें किसी दूसरे केस में उन्होंने यह एलाउ किया, जिसकी वजह से यह चला और उसके बाद एमसीडी और दिल्ली सरकार ने अलग-अलग सर्वेज करवाए। सर्वेज के अलावा 1998 का वह सवा साल, जिस समय दिल्ली में कोई होर्डिंग्स नहीं थे, उसके आंकड़े निकाले गए, तो यह पता चला कि जब दिल्ली में होर्डिंग्स नहीं थे तो एक्सीडेंट्स कम होने की जगह और बढ़ गए थे...(व्यवधान)...

श्री रवि शंकर प्रसाद: यह सर्वे किसने किया था ...(व्यवधान)...

श्री अजय माकन: जब यह पता चला कि वह सवा वर्ष ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप उन्हें बोलने दीजिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री वी. हनुमंत राव: जब बच्चे होर्डिंग्स...(व्यवधान)...पत्थर फैंकते हैं ...(व्यवधान)... स्कूटर वाले ...(व्यवधान)...

श्री अजय माकन: सभापति महोदय, उस सवा वर्ष के अन्दर एक्सीडैंट्स कम होने की जगह बढ़ गए और हमारी हर एक लोकल अर्बन बाडी, चाहे वह एमसीडी हो, चाहे एनडीएमसी हो या फिर डीटीसी के कियॉस्क्स हों, जहां पर बस शैल्टर्स में ये होर्डिंग्स लगते हैं, इन सभी के अर्बन लोकल बाडीज का रेवेन्यू, लगभग 100 करोड़ रुपये, दिल्ली सरकार के पास में जाता है, जिससे सड़कों की मैंटेनैंस, बस शैल्टर्स की मैंटेनैंस का काम होता है।

श्री तारिक अनवर: सभापति महोदय, अब तक बंगाल ऐक्ट के तहत पोस्टर्स लगवाने वालों के खिलाफ सिर्फ जुर्माने का प्रावधान था, लेकिन अभी हाल ही में हाई कोर्ट के एक निर्देश के तहत पोस्टर, पर्चे व स्टिकर्स चिपका कर राजधानी को बदरंग करने वालों के खिलाफ अपराधी मामला दर्ज करने का आदेश है, जिसके तहत एक साल तक की सभा व जुर्माना हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री अजय माकन: माननीय महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि 01.10.2005 से लेकर 31.10.2006 तक एमसीडी ने लगभग 15,033 अनऑथोराइज्ड होर्डिंग्स और अन्य अनऑथोराइज्ड चीजें उतारी हैं और लगभग 6,778 केसिज इसके अगेंस्ट पुलिस स्टेशन के अन्दर लाज किए हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल: महोदय, यह डिपार्टमैंट भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। मैं मंत्री जी से सीधा सवाल यह जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने एक केस दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कई जगह छापे मारे थे, क्योंकि जहां होर्डिंग्स एक साल के लिए लगते हैं, वहां वे

पांच-पांच साल तक लगे रहते हैं। इन पर कार्यवाही भी हुई थी। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि इस बारे में आपका क्या जवाब है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या डायरैक्शन्स दी हैं? सीबीआई ने किन लोगों पर छापे मारे हैं और इससे आपके सामने क्या नतीजा निकल कर आया है? उसमें कितना रैवेन्यु लॉस हुआ है?

श्री अजय माकन: महोदय, मेरे पास जो जानकारी है, वह यह है कि यहां से एमसीडी को पिछले एक वर्ष में लगभग 50 करोड़, डीटीसी को 5-10 करोड़ और एनडीएमसी को लगभग 10 करोड़ का रैवेन्यू मिल रहा है। कौन से इंडिविडयूअल केसिज इसके अन्दर हैं, इस बारे में जानकारी लेकर मैं माननीय सदस्य को बता दूंगा।

श्रीमती वृंदा कारत: धन्यवाद सर, हमारे मंत्री जी ने जवाब देते समय सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट का जिक्र किया और सदन के सामने उसे पढ़ कर सुनाया। उसमें यह बात है कि जो होर्डिंग्स हैजार्डस है, उन होर्डिंग्स को हटना चाहिए, लेकिन कौन से होर्डिंग्स हैजार्डस हैं, यह कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट ट्रैफिक तक सीमित है, लेकिन आजकल जो होर्डिंग्स लग रहे हैं, वे ट्रैफिक के लिए हैजार्डस हैं या नहीं हैं, लेकिन महिलाओं के लिए जरूर हैजार्डस हैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: महिलाओं के ही तो ज्यादा आते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत: इसका कारण यह है सर, महिलाओं को नाम लेते हुए मुझे पता नहीं कि सेंस आफ ह्यूमर क्यों आगे बढ़ता है, यह आज तक मैं सदन में समझ नहीं पाई।

श्री सभापति: आप प्रश्न करिए।

श्री वृंदा कारत: ये जिस प्रकार की आपत्तिजनक होर्डिंग्स और आपत्ति है कि महिलाओं को लांछित करने वाले होर्डिंग्स हैं, अपमानित करने वाले होर्डिंग्स हैं और आपत्तिजनक हैं, तो मैं मंत्री जी से यह सवाल पूछना चाहती हूं कि वे स्क्रीनिंग कमेटीज जो हेजर्डस होर्डिंग्स के बारे में करती हैं, क्या वे वहां महिला संगठनों को भी जोड़ेंगे और क्या इस मुद्दे को भी जोड़ेंगे कि जो हमारे आई एंड बी मंत्री यहां बैठे हैं संयोग की बात है और जानते हैं कि...

श्री सभापति: आप प्रश्न करिए।

SHRIMATI BRINDA KARAT: For demeaning portrayals of women, there is a law in this country. Both these Ministries should work together, involve women's organizations and put an end to this demeaning of women through these huge hoardings and advertisements. This is the approach that we should have. I want the hon. Minister to answer whether he will take an initiative in undoing this injustice to women's image.

श्री अजय माकन: महोदय, यह बहुत अच्छा सजेशन माननीय सदस्या का है। वैसे मैं सदन को आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा कि एम.सी.डी. में आलरेडी इसके ऊपर एक कमेटी बैठाई हुई है और यह कमेटी तमाम टैक्निकल पैरामीटर्ज के अलावा distance between uni-poles, mode of display, contents of display, इन सब चीजों की वह जरूर छानबीन करता है लेकिन हम लोग खुद दिल्ली में रहकर के देखते हैं कि बहुत बार जो चीज होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाती और कंटेंट के अंदर कई बार कमी रह जाती है। तो मैं माननीया सदस्या को विश्वास दिलाता हूं कि इनका बहुत अच्छा सुझाव है और इसको हम जरूर कंसिडर करेंगे।

Performance of States under MPLADS

*226. SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Will the Minister of STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) the list of States giving good performance and poor performance in the implementation of MPLADS fund since its inception;

(b) the reasons for poor performance and measures to improve the same;

(c) the steps to make the administration more active for speedy disposal at the district level; and

(d) the decision if any to enhance the total yearly allocation of Rupees two crore fund under MPLADS?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI G.K. VASAN): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The physical and financial performance of MPLAD Scheme is very good. Since inception upto 30.11.2006, the overall percentage of utilization over release is 88.77% and the percentage of works completed to works sanctioned is 89.47%. Lists indicating the financial performance of States and UTs. and their ranking in terms of utilization of funds over release and works completed over works sanctioned are given at enclosed Statement-I and II respectively. As per the details in the Statements, it is found that States and UTs. are performing well.